सं0सं0–7/संक्रा0रोग अस्प0,पटना–17–01/2012– 13 (7.0)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

संजय कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

अधीक्षक,
संक्रामक रोग अस्पताल, पटना ।

पटना, दिनांक :20-4-2012

विषयः– मांग संख्या–20 अन्तर्गत मुख्य व्यय शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ–एलोपैथी–110–अस्पताल तथा औषधालय–0011 संक्रामक रोग अस्पताल, पटना उपशीर्ष विपत्र कोड– N2210011100011 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–2013 में विभिन्न प्राथमिक ईकाईयों में कुल ₹1,25,42,500/–(एक करोड़ पच्चीस लाख बेयालीस हजार पॉच सौ) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड अन्तर्गत संलग्न विवरणी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2012–2013 में विभिन्न प्राथमिक ईकाईयों में कुल ₹1,25,42,500/–(एक करोड़ पच्चीस लाख बेयालीस हजार पॉच सौ) मात्र का आवंटन दी जाती है। (विवरणी संलग्न)

2. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 वि0 (2) दिनांक 17.4.98 एवं परिपत्र 2419 वि0(2) दिनांक 05.04.2007, 2398वि0(2) दिनांक–8.4.08 एवं वित्त विभागीय पत्रांक–3388वि0(2) दिनांक 18.4.11 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय ।

3. आवंटित राशि की निकासी मांग संख्या–20 अन्तर्गत व्यय शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ–एलोपैथी–110–अस्पताल तथा औषधालय–0011 संक्रामक रोग अस्पताल, पटना उपशीर्ष विपत्र कोड– N2210011100011 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–2013 में आय व्ययक आयोजना भिन्न में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

4. इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अधीक्षक, संक्रामक रोग अस्पताल, पटना तथा नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे ।

5. कई पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी कई मामले दायर किये गये हैं । माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में यह आदेश पारित किया है कि विभाग देय बकाये वेतनादि का भुगतान शीध्र करे । अतः यह आदेश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का बकाया वेतन है वे शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन सम्बंधित सिविल सर्जन/क्षेत्रीय उप निदेशक/निदेशक प्रमुख को देंगे । सिविल सर्जन/क्षेत्रीय उप निदेशक/ निदेशक प्रमुख निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन की जॉच कर बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे।

1. संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी विधिवत वहां पदस्थापित हैं ।
2. विधिवत पदस्थापित होने का सत्यापन कर केवल उसी अवधि का वेतन का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि में ये पदाधिकारी वास्तव में कार्य किये हों ।
3. जहाँ तक कर्मचारियों के बकाये वेतनादि के भुगतान का प्रश्न है सिविल सर्जन इस बात का सत्यापन कर लेंगे कि उक्त अवधि का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है।

सिविल सर्जन / क्षेत्रीय उप निदेशाक/निदेशक प्रमुख उपरोक्त शर्त्तो से संतुष्ट होने पर इस आवंटनादेश से बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे । यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर राशि भी सिविल सर्जन सब तरह से संतुष्ट होकर कि, कितनी राशि देय है, का भुगतान इस आवंटन से कर सकते हैं ।

6. वित्त विभागीय पत्रांक– 3833/वि0(2) दिनांक–02.04.2012 में निहित निदेश के आलोक में इस आवंटित राशि से वित्तीय वर्ष 2011–12 अथवा पूर्व के लंबित दायित्वों का भुगतान किया जा सकता है।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृति बल के विरूद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारी/कर्मचारी का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण–पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे ।

8. क्रय सम्बंधी कार्य स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक–96(9) दिनांक–18.02.99, 142(9) दिनांक– 15.03. 2001, 241(9) दिनांक–21.05.2002 एवं 379(9) दिनांक–16.08.2002 तथा 73(9) दिनांक 28.1.06 के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए किया जायगा ।

9. आवंटित राशि से किए गए क्रय में निर्धारित विहित प्रकिया का पालन करने, उनका सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा ।

10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विहित प्रपत्र में व्यय विवरणी टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे ।

11. इसकी प्रति महालेखाकार बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन,

19/4/2012

(संजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 13(7)09 पटना, दिनांक : 20-4-12

प्रतिलिपि : महालेखाकार बिहार, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिला पदाधिकारी /संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ संबंधित उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार के सचिव/ प्रशाखा पदाधिकारी–7 एवं कार्यवाह सहायक को पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

19/4/2012

सरकार के संयुक्त सचिव

विवरणी

क्रमांक	प्राथमिक इकाई एवं कोड	बजट उपबंध	वर्तमान आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5
1	वेतन (01–01)	6876000	5500800	1375200
2	विशेष वेतन (01–02)	67000	53600	13400
2	जीवन यापन भत्ता (01–03)	4608000	3686400	921600
3	मकान किराया भत्ता (01–04)	1860000	1488000	372000
4	परिवहन भत्ता (01–05)	75000	60000	15000
5	चिकित्सा भत्ता (01–06)	48000	38400	9600
6	अन्य भत्ता (01–07)	466000	372800	93200
	योग वेतन एवं भत्ते:–	**14000000**	**11200000**	**2800000**
7	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (06–01)	200000	100000	100000
8	यात्रा व्यय (11–01)	50000	25000	25000
9	कार्यालय व्यय (13–01)	200000	100000	100000
10	दूरभाष (13–03)	25000	12500	12500
11	विद्युत प्रभार (13–04)	500000	250000	250000
12	विधि प्रभार (13–05)	50000	25000	25000
13	वर्दी/ पोषाक (13–06)	100000	50000	50000
14	सामग्री एवं पूर्तियाँ (21–01)	300000	150000	150000
15	दवा भंडार (21–02)	500000	250000	250000
16	आहार/ पथ्य (21–03)	100000	50000	50000
17	अनुरक्षण एवं मरम्मत (27–02)	1000	0	1000
18	व्यवसायीक एवं विशेष सेवाएँ (28–01)	500000	250000	250000
19	मशीने एवं उपस्कर (52–01)	160000	80000	80000
	कुल	**16686000**	**12542500**	**4143500**

19/4/2012

सरकार के संयुक्त सचिव